पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2822
दिनांक-07.12.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना-दुबग्गा

- *थाना दुबग्गा लखनऊ पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत हत्या करने वाले 02 शातिर अभियुक्तो को आलाकत्ल के साथ किया गया गिरफ्तार।*
- *थाना दुबग्गा पुलिस टीम की सफलता।*

01-सक्षिप्त विवरण:-

थाना स्थानीय पर दिनांक 05.12.2025 को वादी मुकदमा की लिखित तहरीर बावत नामित अभियुक्तगण द्वारा सामान आशय से वादी के रिश्ते के चाचा को गोली मार कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में दाखिल किया दाखिला तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 0494/2025 धारा 103(1)/3(5) भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस) 2023 बनाम 1. जितेन्द्र उर्फ अन्नू पुत्र नरेन्द्र उर्फ भल्लू व 2. चिराग यादव पुत्र जितेन्द्र उर्फ अन्नू के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना सम्पादित की गयी।

दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त मे अभियुक्त नरेन्द्र उर्फ बुल्लू द्वारा घटना को कारित करना भी पाये जाने पर अभियुक्त नरेन्द्र उर्फ बुल्लू का नाम प्रकाश मे लाया गया । आज दिनांक 07.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण चिराग यादव पुत्र जितेन्द्र यादव उर्फ अन्नू नि0- 555 जे /45 मेहन्दीखेडा थाना मानकनगर लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष व नरेन्द्र उर्फ बुल्लू पुत्र स्व0 चन्द्रपाल उर्फ बेचालाल नि0- 555 जे /45 मेहन्दीखेडा थाना मानकनगर लखनऊ उम्र करीब 65 वर्ष को मानकनगर रेलवे स्टेशन के पास से दिनांक 07.12.2025 मे गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से आलाकत्ल लाईसेन्सी असलहा बरामद करते हुए मुकदमा उपरोक्त मे धारा 61(2) बी0एन0एस0 व 30 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी करते हुए न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया ।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. चिराग यादव पुत्र जितेन्द्र यादव उर्फ अन्नू नि0- मेहन्दीखेडा थाना मानकनगर लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष
2. नरेन्द्र उर्फ बुल्लू पुत्र स्व0 चन्द्रपाल उर्फ बेचालाल नि0- मेहन्दीखेडा थाना मानकनगर लखनऊ उम्र करीब 65 वर्ष

03-पंजीकृत/अनावरित अभियोग:-

मु0अ0सं0 494/2025 धारा 103(1)/3(5)/61(2) बी0एन0एस0 व 30 आर्म्स एक्ट थाना दुबग्गा कमि0 लखनऊ

05-बरामदगी:-

- एक अदद आलाकत्ल लाईसेसी दोनाली 12 बोर बन्दूक व
- 01 अदद खोखा , 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2822
दिनांक-07.12.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना-दुबग्गा

- ***थाना दुबग्गा लखनऊ पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत हत्या करने वाले 02 शातिर अभियुक्तो को आलाकत्ल के साथ किया गया गिरफ्तार।***
- ***थाना दुबग्गा पुलिस टीम की सफलता।***

01-सक्षिप्त विवरण:-

थाना स्थानीय पर दिनांक 05.12.2025 को वादी मुकदमा की लिखित तहरीर बावत नामित अभियुक्तगण द्वारा सामान आशय से वादी के रिश्ते के चाचा को गोली मार कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में दाखिल किया दाखिला तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 0494/2025 धारा 103(1)/3(5) भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस) 2023 बनाम 1. जितेन्द्र उर्फ अन्नू पुत्र नरेन्द्र उर्फ भल्लू व 2. चिराग यादव पुत्र जितेन्द्र उर्फ अन्नू के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना सम्पादित की गयी।

दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त मे अभियुक्त नरेन्द्र उर्फ बुल्लू द्वारा घटना को कारित करना भी पाये जाने पर अभियुक्त नरेन्द्र उर्फ बुल्लू का नाम प्रकाश मे लाया गया । आज दिनांक 07.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण चिराग यादव पुत्र जितेन्द्र यादव उर्फ अन्नू नि0- 555 जे /45 मेहन्दीखेडा थाना मानकनगर लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष व नरेन्द्र उर्फ बुल्लू पुत्र स्व0 चन्द्रपाल उर्फ बेचालाल नि0- 555 जे /45 मेहन्दीखेडा थाना मानकनगर लखनऊ उम्र करीब 65 वर्ष को मानकनगर रेलवे स्टेशन के पास से दिनांक 07.12.2025 मे गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से आलाकत्ल लाईसेन्सी असलहा बरामद करते हुए मुकदमा उपरोक्त मे धारा 61(2) बी0एन0एस0 व 30 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी करते हुए न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया ।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. चिराग यादव पुत्र जितेन्द्र यादव उर्फ अन्नू नि0- मेहन्दीखेडा थाना मानकनगर लखनऊ उम्र करीब 19 वर्ष
2. नरेन्द्र उर्फ बुल्लू पुत्र स्व0 चन्द्रपाल उर्फ बेचालाल नि0- मेहन्दीखेडा थाना मानकनगर लखनऊ उम्र करीब 65 वर्ष

03-पंजीकृत/अनावरित अभियोग:-

मु0अ0सं0 494/2025 धारा 103(1)/3(5)/61(2) बी0एन0एस0 व 30 आर्म्स एक्ट थाना दुबग्गा कमि0 लखनऊ

05-बरामदगी:-

- एक अदद आलाकत्ल लाईसेसी दोनाली 12 बोर बन्दूक व
- 01 अदद खोखा , 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद।

06-गिरफ्तारीकरने वाली टीम पुलिस—

1. अति0 निरी0 सोबरन सिंह थाना दुबग्गा लखनऊ
2. व0उ0नि0 राकेश पटेल थाना दुबग्गा लखनऊ
3. उ0नि0 शिव सिंह थाना दुबग्गा लखनऊ
4. उ0नि0 बृजपाल सिंह थाना दुबग्गा लखनऊ
5. म0उ0नि0 नेहा वर्मा थाना दुबग्गा लखनऊ
6. हे0का0 सुभान खान थाना दुबग्गा लखनऊ
7. का0 कौशिन्द्र भागर थाना दुबग्गा लखनऊ
8. का0 विपिन कुमार मौर्या थाना दुबग्गा लखनऊ
9. का0 विनोद कुमार थाना दुबग्गा लखनऊ
10. का0 शैलेश यादव थाना दुबग्गा लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-I

दिनांक- 07.12.2025

मिशन शक्ति 5.0- सुरक्षा और जागरूकता ही है हमारी पहचान।

थाना रहीमाबाद टीम द्वारा मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत थाना क्षेत्र रहीमाबाद में ग्राम ससपन स्थित स्वयं सहायता समूह कार्यालय में महिलाओं व बच्चों को मिशन शक्ति अभियान के तहत किया गया जागरूक।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान एक सराहनीय कदम है जो महिला सशक्तिकरण के संदेश को देश के कोने-कोने तक पहुँचाने में मदद कर रहा है। यह न केवल महिलाओं को उनकी शक्ति का अहसास कराता है बल्कि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान समाज के निर्माण की नींव रखता है।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

आयोजक/आयोजन स्थल

- महिला उपनिरीक्षक संध्या पटेल, मिशन शक्ति प्रभारी थाना रहीमाबाद लखनऊ कमिश्नरेट
- उपनिरीक्षक अनिरुद्ध कुमार मिश्र, थाना रहीमाबाद लखनऊ कमिश्नरेट
- ग्राम ससपन स्थित स्वयं सहायता समूह कार्यालय रहीमाबाद लखनऊ

प्रतिभाग-

- महिला उपनिरीक्षक संध्या पटेल, मिशन शक्ति प्रभारी थाना रहीमाबाद लखनऊ कमिश्नरेट
- उपनिरीक्षक अनिरुद्ध कुमार मिश्र, थाना रहीमाबाद लखनऊ कमिश्नरेट
- उपनिरीक्षक अनिल कुमार वर्मा, थाना रहीमाबाद लखनऊ कमिश्नरेट
- म0का0 प्रियंका डांग, थाना रहीमाबाद लखनऊ कमिश्नरेट
- थाना क्षेत्र रहीमाबाद में स्थित ग्राम ससपन स्थित स्वयं सहायता समूह कार्यालय में करीब 50- 60 महिलाए व बच्चे ।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत आज दिनांक दिनांक 07/12/2025 को मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ससपन स्थित स्वयं सहायता समूह कार्यालय में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और गांव की महिलाओं व लड़कियों को मिशन शक्ति टीम द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला अपराधों की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों 1098, 1090, 181, 1076, 1930, 101, 112, 102 और 108 की जानकारी देकर पम्पलेट वितरित किया गया। इसके अतिरिक्त एंटी रोमियो टीम, पिंक बूथ, पिंक मोबाइल एवं महिला शक्ति केंद्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई साथ ही साथ साइबर अपराधों के बारे में जानकारी देते हुए उनके प्रति सचेत किया गया तथा उनसे बचाव के उपायों हेतु टोल फ्री नंबर 1930 के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की गई और साइबर फ्रॉड के संबंध में बताया गया, डिजिटल अरेस्टिंग की भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया गया, ओटीपी न बताने और ऑनलाइन पेमेंट से बचने की हिदायत भी दी है , महिला हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति केंद्र के कार्यो के बारे में जानकारी दी गयी एवं महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

भरोसा और पारदर्शिता: पुलिस और समुदाय के बीच सीधा संवाद दोनों के बीच की दूरी को कम करता है। जनता की चिंताओं को सुनना और उनका समाधान बताना आपसी विश्वास को मजबूत करता है।

डर का खात्मा: अक्सर महिलाएं और उनके परिवार घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज कराने से झिझकते हैं। ऐसे मंचों से उन्हें सुरक्षा का अहसास होगा और वे बिना डर के आगे आ सकेंगी।

त्वरित कार्रवाई: सीधे संवाद से समस्याओं को तेजी से समझा और सुलझाया जा सकता है। पुलिस को स्थानीय स्तर पर मौजूद चुनौतियों की सीधी जानकारी मिलती है।

जागरूकता बढ़ाना: पुलिस महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों, हेल्पलाइन नंबरों, आत्म-रक्षा के तरीकों और तकनीकी सहायता के बारे में सीधे जागरूकता फैला सकती है।

महिलाओं को निम्न बिंदुओं पर जागरूक किया गया:

1. महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनों की जानकारी

   दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम

2. महिला हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी

   1090 (वुमेन पावर लाइन), 112 (आपातकालीन सेवा), 181 (महिला सहायता हेल्पलाइन)

3. साइबर क्राइम से सुरक्षा के उपाय

   सोशल मीडिया पर गोपनीयता बनाए रखना, साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी आदि।

महिलाओं को निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार की संकट की स्थिति में वे तुरंत इन नंबरों पर संपर्क करें अथवा मैसेज के माध्यम से भी सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
मिशन शक्ति बुलेटिन-III

दिनांक- 30.10.2025

"मिशन शक्ति 5.0
सतर्क नारी, सुरक्षित समाज; जागृत नारी, निर्माण करेगी नया इतिहास।"

थाना कृष्णानगर टीम द्वारा लोकबंधु राज नारायण संयुक्त अस्पताल पर महिलाओ व बच्चो की सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति के तहत किया गया विशेष कार्यक्रम, सुरक्षा के दृष्टिगत साइबर क्राइम, महिला अपराध व महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर एवं 'यूपी-कॉप' (UP COP) आदि के बारे में किया गया जागरूक।

लखनऊ पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जनपद के सभी 54 थानों में विशेष 'मिशन शक्ति केन्द्र' स्थापित किए हैं। यह निर्णय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर, पुलिस आयुक्त, लखनऊ के मार्गदर्शन में "मिशन शक्ति 5.0" के तहत लिया गया है

उत्तर प्रदेश पुलिस की पहल "मिशन शक्ति" के अंतर्गत आज मातृ एवं शिशु रेफरल हॉस्पिटल, सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य अस्पताल में उपस्थित महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सहायता तंत्रों से अवगत कराना था।

आयोजक/आयोजन स्थल-

- महिल उप निरीक्षक निशा, थाना कृष्णानगर, कमिश्नरेट लखनऊ
- लोकबंधु राज नारायण संयुक्त अस्पताल, बरगांव लखनऊ

प्रतिभाग-

- महिल उप निरीक्षक निशा, थाना कृष्णानगर, कमिश्नरेट लखनऊ
- महिल हे0का0 रीना, थाना कृष्णानगर, कमिश्नरेट लखनऊ

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

उत्तर प्रदेश पुलिस की महत्वपूर्ण पहल **"मिशन शक्ति 5.0"** के अंतर्गत, महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लखनऊ कमिश्नरेट में जागरूकता कार्यक्रमों की शृंखला जारी है। इसी क्रम में, दिनांक 07.12.2025 को **लोकबंधु राज नारायण संयुक्त अस्पताल, बरगांव** लखनऊ में मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 20-25 महिलाओं एवं बच्चों ने भाग लेकर स्वयं को सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2818

दिनांक – 07.12.2025

जोन- दक्षिणी/थाना-निगोहां

- **बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले 01 नफरआरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण

दिनांक 07/12/2025 को समय लगभग 18.30 बजे वादिनी मुकदमा द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक-05.12.2025 को सुबह लगभग 11.00 बजे उसकी 13 वर्ष की पुत्री को अभियुक्त शोभित पुत्र स्व0 चेतराम निवासी ग्राम धनवारा थाना मोहनलालगंज-लखनऊ बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। वादिनी मुकदमा के अनुसार अभियुक्त पिछले कुछ समय से वादिनी मुकदमा के गांव में अपने जीजा के घर पर रह रहा था। उक्त गम्भीर सूचना पर तत्काल थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-225/2025 धारा-137(2)/87 बीएनएस बनाम- शोभित पंजीकृत किया गया।

थानाध्यक्ष निगोहाँ अनुज कुमार तिवारी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अपहृता की बरामदगी करते हुए अभियुक्त शोभित को आज दिनांक-07.12.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम रामपुरगढी के पास से गिरफ्तार किया गया। अपहृता द्वारा के बयान के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस व ¾(2) पास्को एक्ट की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए जेल भेजा गया।

02-अनावरित अभियोग-

01-मु0अ0सं0-225/2025 धारा-137(2)/87/65(1) बीएनएस व ¾(2) पास्को एक्ट थाना निगोहाँ लखनऊ

03-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता/व्यवसाय:-

1.शोभित पुत्र स्व0 चेतराम निवासी ग्राम धनवारा थाना मोहनलालगंज-लखनऊउम्र 19 वर्ष

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना निगोहां कमिश्नरेट लखनऊ।
2. का0 दिनेश कुमार सरोज
3. का0 मुकेश बाबू

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2820
दिनांक- 07.12.2025

जोन- पूर्वी / थाना-गाजीपुर

- ***फर्जी हस्ताक्षर व स्टाम्प पेपर बनाने वाले 02 शातिर अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार।***
- ***अभियुकों के कब्जे से मैनुअल स्टाम्प (10–500 रुपये के विभिन्न), ई-स्टाम्प (10–100 रुपये के विभिन्न), नोटरी रबड़ स्टाम्प और मोहरें लैपटॉप, प्रिंटर, मॉनीटर, CPU, की-बोर्ड, माउस बरामद***
- ***पूर्वी जोन की क्राइम/सर्विलांस व थाना गाजीपुर की संयुक्त पुलिस टीम की कार्यवाही।***

01-सक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 06.12.2025 थाना गाजीपुर व पूर्वी जोन की क्राइम/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम थाना गाजीपुर क्षेत्र में अपराध नियंत्रण पर चर्चा कर रहे थे कि जरिये अभिसूचक जानकारी मिली कि केशव काम्पलेक्स में एक दुकान चल रही है जिसमें फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षर कर स्टाम्प पेपर तैयार किया जाता है तथा काफी मात्रा में कूटरचित हस्ताक्षरित स्टाम्प पेपर व स्टाम्प तैयार करने के उपकरण उसकी दुकान पर रखें हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम केशव कम्पलेक्श के पास ग्राउण्ड फ्लोर बतायी गयी दुकान पर पहुँची तो दुकान पर बैठा एक व्यक्ति दुकान में रखा स्टाम्प आदि समेटकर भागने का प्रयास करने लगा जिसको मौके पर ही पकड़ कर नाम पता पूछते हुए हडबडाने का कारण पूछा गया तो बताया कि साहब मेरा नाम सीतानाथ रथ पुत्र दामोदर रथ निवासी हालपता सी-1211 इन्दिरानगर थाना गाजीपुर लखनऊ मूलपता तन्तीशाही गली निकट बटेश्वर महादेव मन्दिर मूर्तिगंज थाना कोतवाली सदर जिला बालेश्वर उडीसा उम्र 48 वर्ष बताया।

हडबडाने के सम्बन्ध पूछने पर बताया कि मैं तथा मेरा दोस्त दीपक सिंह इसी दुकान में मिल कर वेन्डिग का काम करते हैं। पुलिस टीम द्वारा दुकान की तलाशी ली गयी तो दुकान के मैनुअल स्टाम्प (10–500 रुपये के विभिन्न), ई-स्टाम्प (10–100 रुपये के विभिन्न), नोटरी रबड़ स्टाम्प और मोहरें लैपटॉप, प्रिंटर, मॉनीटर, CPU, की-बोर्ड, माउस आदि मिले, तभी एक व्यक्ति दुकान पर आया जिसको देखकर सीतानाथ रथ उपरोक्त ने बताया कि यही मेरा साथी दीपक सिंह उपरोक्त है। जिसे नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम दीपक सिंह पुत्र जगदीश प्रसाद सिंह निवासी 115-ग शक्तिनगर थाना गाजीपुर लखनऊ मूलपता भिटकुटी सेवापुरी थाना जनसा वाराणसी उम्र 52 वर्ष बताया ।

अतः पकड़े गये अभियुक्तगण 1. सीतानाथ रथ 2. दीपक सिंह उपरोक्त को उनके द्वारा किये गये जुर्म धारा 319(2)/318(4)/338/336(3) बीएनएस से अवगत कराते हुए नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-अभि0 गण से की गयी पूछताछ का विवरण:-

पकड़े गये दोनो अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि यह दुकान किराये पर लेकर हम दोनो एक साथ वेन्डिग का काम करते हैं। यह जो ई-स्टाम्प व मैनुअल स्टाम्प तथा रबड मोहरें हमारी दुकान से आप लोगों ने बरामद किया है इसको हमलोगों नें फर्जी हस्ताक्षर व रबड स्टाम्प लगाकर बेचने हेतु रखे हैं।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. सीतानाथ रथ पुत्र दामोदर रथ निवासी हालपता सी-1211 इन्दिरानगर थाना गाजीपुर लखनऊ मूलपता तन्तीशाही गली निकट बटेश्वर महादेव मन्दिर मूर्तिगंज थाना कोतवाली सदर जिला बालेश्वर उडीसा उम्र 48 वर्ष
2. दीपक सिंह पुत्र जगदीश प्रसाद सिंह निवासी 115-ग शक्तिनगर थाना गाजीपुर लखनऊ मूलपता भिटकुटी सेवापुरी थाना जनसा वाराणसी उम्र 52 वर्ष

04-पंजीकृत अभियोग-

01-मु0अ0सं0 409/25 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3) बीएनएस थाना गाजीपुर लखनऊ

05-अभियुक्त सीतानाथ रथ का अपराधिक इतिहास—

1. मु0अ0सं0 158/16 धारा 506 भादवि थाना गाजीपुर, लखनऊ
2. मु0अ0सं0 950/16 धारा 13 जुआँ अधि0 थाना गजीपुर,लखनऊ

06-बरामदगी का विवरण –

➢ 10 रुपये के 112 अदद मैनुअल स्टांप ➢ 20 रुपये के 08 अदद मैनुअल स्टांप ➢ 50 रुपये के 119 अदद मैनुअल स्टांप ➢ 500 रुपये के 04 अदद मैनुअल स्टांप ➢ 100 रुपये के 136 अदद मैनुअल स्टांप ➢ 10 रुपये के 171 अदद अदद ई-स्टांप ➢ 100 रुपये के 330 अदद ई-स्टांप ➢ 20 रुपये के 03 अदद ई-स्टांप ➢ सादे पन्ने पर 15 अदद नोटरी हस्ताक्षरशुदा सत्यप्रकाश नाम के ➢ सादे पन्ने पर 170 अदद नोटरी आर.सी. वर्मा नाम के ➢ 12 अदद मोहर (रबड स्टाम्प)	➢ 02 अदद लैपटाप - लेनेवो 81एमटीलेनेवोवी 145 15एएसटीयू मेड इन चाइना काला रंग, लेनेवो टाइप 7661 के 47 एच/एन एल3 डीसी 578/4 ➢ 02 अदद प्रिन्टर - एचपी लेजर जेड पी 1007 सफेद काला रंग, एचपी लेजर जेड प्रो एम 305डी सफेद रंग ➢ 02 अदद मानीटर -जियोनिक्स GXTF WVHDV171 मेड इन चाइना , BENQ - GL955A , ➢ 02 अदद सीपीयू – इन्टेक्स व जैबरोनिक ➢ 03 अदद की-बोर्ड ➢ 01 अदद माउस

07-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 श्री जयनराण दोहरे थाना गाजीपुर, लखनऊ
2. उ0नि0 श्री नीरज यादव थाना गाजीपुर, लखनऊ
3. उ0नि0 श्री अमरनाथ चौरसिया क्राइम/सर्विलांस टीम पूर्वी जोन
4. हे0का0 संदीप पाण्डेय क्राइम/सर्विलांस टीम पूर्वी जोन
5. का0 विमल चन्द्र पाल क्राइम/सर्विलांस टीम पूर्वी जोन
6. का0 प्रदीप कुमार क्राइम/सर्विलांस टीम पूर्वी जोन

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2821

दिनांक-07.12.2025

- ***जनता के सहयोग से घर में चोरी करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।***

01-संक्षिप्त विवरण-

आगन्तुकगण श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री विजय पाल सिंह निवासी म0नं0-डी 436,राजाजीपुरम,थाना तालकटोरा लखनऊ मय हमराह अपने पड़ोसी पंकज अग्रवाल, राजीव सोलंकी मय जनता द्वारा अभियुक्त ऋषभ सिंह पुत्र नकुल उर्फ संदीप सिंह निवासी अल्लीपुर,थाना कासिमपुर जनपद हरदोई उम्र करीब 24 वर्ष मय माल आभूषण व नगदी के उपस्थित थाना हाजा आकर एक किता प्रार्थना पत्र बाबत उक्त अभियुक्त द्वारा वादी श्री वीरेन्द्र सिंह के घर से चोरी करने व इस दौरान वादी व मोहल्ले के व्यक्तियों द्वारा उसे पकड़ लिये जाने व चोरी किया गया माल बरामद किये जाने के संबंध मे दाखिल किया गया।

दाखिला प्रार्थना पत्र के आधार पर कम्प्यूटर पर चिक किता कर कायमी मु0अ0सं0-0253/2025 धारा 331(4)/305(a)/317(2) पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त ऋषभ सिंह उपरोक्त को पुलिस हिरासत में लेकर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-ऋषभ सिंह पुत्र नकुल उर्फ संदीप सिंह निवासी अल्लीपुर,थाना कासिमपुर जनपद हरदोई उम्र करीब 24 वर्ष।

03-पंजीकृत अभियोग का विवरण

01-मु0अ0सं0 253/2025 धारा 331(4)/305(A)/317(2) बीएनएस थाना तालकटोरा लखनऊ

04-अपराधिक इतिहास अभियुक्त (ऋषभ सिंह)

1. मु0अ0सं0-329/2016 धारा 457/380/411 भादंवि थाना बाजारखाला लखनऊ।
2. मु0अ0सं0-623/2016 धारा 457/380/411 भादंवि थाना आशियाना लखनऊ।
3. मु0अ0सं0- 314/2017 धारा 392/411 भादंवि थाना पारा लखनऊ।
4. मु0अ0सं0-516/2017 धारा 302 भादंवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना ठाकुरगंज लखनऊ।
5. मु0अ0सं0-81/2022 धारा 392/411 भादंवि थाना बाबू बनारसी दास(बीबीडी) लखनऊ।
6. मु0अ0सं0-204/2022 धारा 34/392/411 भादंवि थाना पीजीआई लखनऊ।
7. मु0अ0सं0-222/2022 धारा 379/411 भादंवि थाना पीजीआई लखनऊ।
8. मु0अ0सं0-223/2022 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना पीजीआई लखनऊ।
9. मु0अ0सं0-671/2022 धारा 392/411/413/420/458/506/34/120बी भादंवि थाना ठाकुरगंज लखनऊ।

05-कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम

- थाना तालकटोरा, कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस टीम